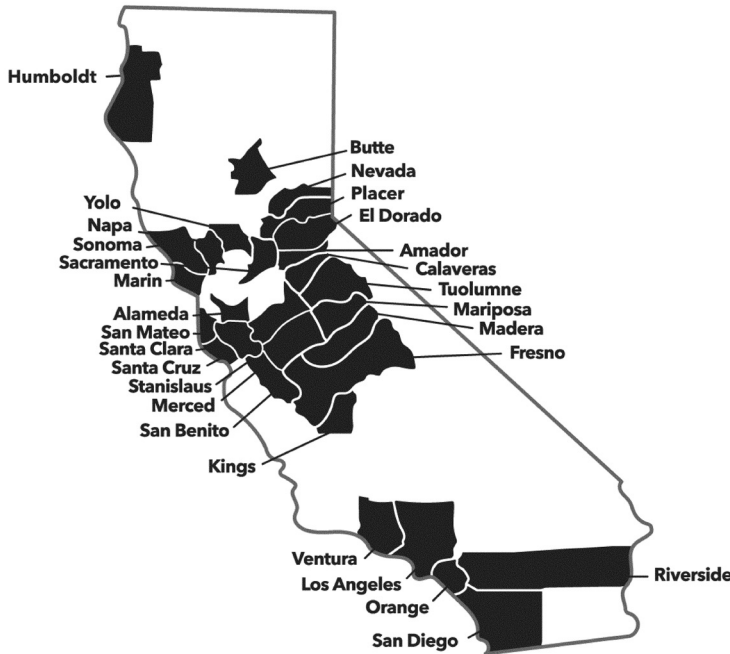


मतदान करने के लिए और अधिक दिन, और अधिक तरीके California के मतदाता विकल्प अधिनियम के साथ

चुनाव के दिन से पहले 10 दिनों तक
व्यक्तिगत रूप से मतदान करें



- Alameda
- Amador
- Butte
- Calaveras
- El Dorado
- Fresno
- Humboldt
- Kings
- Los Angeles
- Madera
- Marin
- Mariposa
- Merced
- Napa
- Nevada
- Orange
- Placer
- Riverside
- Sacramento
- San Benito
- San Diego
- San Mateo
- Santa Clara
- Santa Cruz
- Sonoma
- Stanislaus
- Tuolumne
- Ventura
- Yolo

California में, प्रत्येक सक्रिय पंजीकृत मतदाता को प्रत्येक चुनाव से पहले डाक में स्वचालित रूप से एक मतपत्र प्राप्त होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको आपका मतपत्र प्राप्त हो, अपनी मतदाता पंजीकरण स्थिति की जाँच करें।

ड्रॉप बॉक्स का इस्तेमाल करें:

अपने मतपत्र को चुनाव से
पहले 28 दिन तक किसी भी
काउंटी में बने सुरक्षित ड्रॉप-
ऑफ़ स्थान पर लौटाएँ

मतदान केंद्र:

- चुनाव से पहले 10 दिन तक
काउंटी में कहीं भी व्यक्तिगत
रूप से जाकर मतदान करें
- मतदान करने के लिए
पंजीकरण करें और उसी दिन
मतदान करें
- अपना मतपत्र डालें

डाक द्वारा मतदान:

जैसे ही आपको आपका
मतपत्र प्राप्त हो, इसे डाक
द्वारा लौटाएँ

अधिक जानकारी के लिए RegisterToVote.ca.gov पर जाएँ या (888) 345-2692 पर कॉल करें।



लाइन में नहीं लगना चाहते
और जल्दी मतदान करना
चाहते हैं? अधिक जानकारी के
लिए QR कोड को स्कैन करें!



देरी न करें, आज ही मतदान करें!

California के सभी मतदाताओं को 4 नवम्बर, 2025, राज्यव्यापी विशेष चुनाव के लिए पहले से डाक-टिकट लगे वापसी लिफाफे के साथ डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र भेजा जाएगा। काउंटी चुनाव अधिकारी 6 अक्टूबर, 2025 से डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र भेजना शुरू कर देंगे।

जैसे ही मतपत्र डाक में भेजे जाते हैं, डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र पर मतदान करने की अवधि शुरू हो जाती है। अपनी राय जल्दी सुनाएँ! 6 अक्टूबर से लेकर 4 नवम्बर को मतदान की समाप्ति तक की मतदान अवधि के दौरान अपना डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र लौटाएँ।

डाक द्वारा मतदान करना आसान है।

लोकतंत्र आप पर निर्भर करता है! अपने मतदान करने के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इन पाँच आसान चरणों का पालन करें:

✓ इसे पूरा करें।

अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र पर अपनी पसंदों पर निशान लगाएँ।

✓ इसे सील करें।

अपने मतपत्र को अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से प्राप्त डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र के वापसी लिफाफे के अंदर डालकर सुरक्षित करें।

✓ इस पर हस्ताक्षर करें।

अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र के वापसी लिफाफे के बाहर हस्ताक्षर करें।

सुनिश्चित करें कि आपके हस्ताक्षर आपके CA ड्राइवर लाइसेंस/राज्य पहचान-पत्र पर दिए गए हस्ताक्षर, या मतदान करने के लिए पंजीकरण करते समय आपके द्वारा प्रदान किए गए हस्ताक्षर से मेल खाते हैं। आपका काउंटी चुनाव कार्यालय आपके मतपत्र की गिनती करने से पहले उन दोनों की आपस में तुलना करेगा।

✓ इसे वापस भेजें।

ड्रॉप बॉक्स द्वारा—अपना पूरा किया गया डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र 7 अक्टूबर से लेकर 4 नवम्बर को मतदान समाप्ति की अवधि के बीच किसी भी समय अपनी काउंटी में बने किसी सुरक्षित आधिकारिक ड्रॉप बॉक्स में डालें।

व्यक्तिगत रूप से—अपना पूरा किया हुआ डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र 4 नवम्बर को रात 8:00 बजे तक किसी भी सुरक्षित ड्रॉप बॉक्स, मतदान स्थल, मतदान केंद्र, या काउंटी चुनाव कार्यालय में डालें। चुनाव के दिन से पहले सभी काउंटियों में मतदान स्थल उपलब्ध होंगे। मतदान स्थल मतदाता पंजीकरण, प्रतिस्थापन मतपत्र, सुलभ मतदान मशीनें और भाषा सहायता प्रदान करते हैं।

डाक द्वारा—जैसे ही आपको आपका मतपत्र प्राप्त हो इसे डाक द्वारा लौटाएँ। सुनिश्चित करें कि आपके डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र वापसी लिफाफे पर 4 नवम्बर तक की डाक-मोहर लगी हुई है।

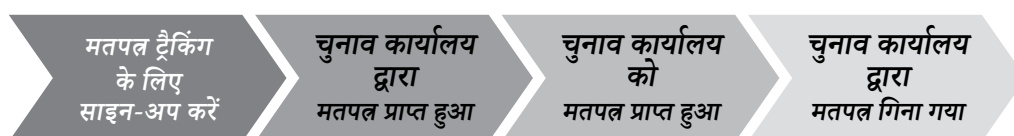
✓ इसे ट्रैक करें।

टेक्स्ट मैसेज (SMS), ईमेल, या वॉयस कॉल द्वारा अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र की स्थिति पर अपडेट प्राप्त करने के लिए wheresmyballot.sos.ca.gov पर साइन-अप करें।



सभी मतदाता California के आधिकारिक “मेरा मतपत्र कहाँ है?” ट्रैकिंग टूल के जरिए अपने मतपत्रों पर महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। साइन-अप करने में तीन मिनट से भी कम समय लगता है!

आप क्या ट्रैक कर पाएंगे:



आप अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र की स्थिति पर टेक्स्ट (SMS), ईमेल, या वॉयस कॉल द्वारा सूचनाएँ प्राप्त करने का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आपके मतपत्र के साथ कोई समस्या होने पर चेतावनी और उन्हें ठीक करने के निर्देश भी शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका मतपत्र गिना जाता है।

हर कदम पर अपने मतपत्र को ट्रैक करने के अवसर से न चूकें!

आप इस URL को अपने ब्राउज़र में भी कॉपी कर सकते हैं: wheresmyballot.sos.ca.gov



California के सैन्य और विदेशी मतदाताओं के लिए सुझाव

सेना में सेवा करने वाले या संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर रहने वाले California वासियों के लिए चुनावों में हिस्सा लेना पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक है। यह आपके द्वारा सैन्य या विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकरण करने और डाक, फैक्स, या ईमेल द्वारा चुनाव सामग्रियाँ प्राप्त करने से शुरू होता है। तैयार रहें!

- **जल्दी शुरूआत करें।** California के काउंटी चुनाव अधिकारियों का चुनाव के दिन से 45 दिन पहले तक सैन्य और विदेशी मतदाताओं को मतपत्र भेजना शुरू करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए registertovote.ca.gov पर जाकर जल्दी मतदाता पंजीकरण आवेदन-पत्र भरें कि आपको समय पर आपकी चुनाव सामग्री मिले और आप चुनाव के दिन तक अपना मतदान किया मतपत्र वापस भेज सकें।
- **अपने विकल्पों को जानें।** सैन्य और विदेशी मतदाता के रूप में मतदान करने के लिए पंजीकरण करते समय, आप चुन सकते हैं कि आपको आपका मतपत्र डाक, फैक्स, या ईमेल द्वारा भेजा जाए। इसके अलावा, आप इस बारे में अधिक जानकारी के लिए अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर जा सकते हैं कि अपना मतपत्र और चुनाव सामग्रियाँ कैसे डाउनलोड करें। आप अपना मतदान किया गया मतपत्र अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारी को डाक द्वारा या, कुछ खास परिस्थितियों में, फैक्स द्वारा वापस भेज सकते हैं। अगर आप फैक्स द्वारा अपना मतपत्र वापस भेजने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आपको गोपनीय मतपत्र के अपने अधिकार का त्याग करते हुए मतदाता शपथ फॉर्म (आपके काउंटी के चुनाव अधिकारी के पास उपलब्ध) भी फैक्स करना होगा।

सावधान! संघीय मतदान सहायता प्रोग्राम (FVAP) ने काउंटी चुनाव अधिकारियों को सैन्य और विदेशी मतदाताओं की चुनाव सामग्री फैक्स करने की अपनी सेवा बंद कर दी है।

इसका क्या मतलब है: आप अपना मतदान किए हुए मतपत्र अब fax@fvap.gov पर नहीं भेज सकते हैं।

अगर आप अपना मतदान किया हुआ मतपत्र फैक्स द्वारा वापस भेजना चाहते हैं, तो आपको इसे सीधे अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारियों को भेजना होगा।

- **संपर्क में बने रहें।** जब आप सैन्य या विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकरण कर लें, तो आपको प्रत्येक राज्य के चुनाव से पहले आपके काउंटी के चुनाव अधिकारी से मतपत्र और चुनाव सामग्रियाँ मिलती रहेंगी। हालांकि, अगर आप अपना पता, अपना नाम या अपनी राजनीतिक पार्टी प्राथमिकता बदलते हैं, तो आपको अपने मतदाता पंजीकरण को अपडेट करने की ज़रूरत होगी। खास तौर पर आपके लिए तैयार किए गए चुनाव संसाधनों के लिए sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/ पर जाएँ।

याद रखने वाली तारीखें:

20 अक्टूबर, 2025: सैन्य और विदेशी मतदाताओं के लिए राज्यव्यापी विशेष चुनाव हेतु मतदान करने के लिए पंजीकरण करने का अंतिम दिन।

21 अक्टूबर–4 नवम्बर, 2025: उसी दिन पंजीकरण करना उपलब्ध है। इस समय के दौरान आप “सशर्त” मतदान करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और अनंतिम मतपत्र पर मतदान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारी से संपर्क करें।

4 नवम्बर, 2025: चुनाव का दिन। जैसे ही आपको आपका मतपत्र प्राप्त हो, इसे डाक द्वारा लौटाएँ। डाक से भेजे गए मतपत्रों पर चुनाव के दिन तक की डाक-मोहर लगा होना ज़रूरी है और इनका आपकी काउंटी के चुनाव कार्यालय को 12 नवम्बर, 2025 तक प्राप्त हो जाना ज़रूरी है। फैक्स किए गए मतपत्रों का चुनावों के समाप्त होने तक आपको काउंटी के चुनाव कार्यालय को चुनाव के दिन रात 8:00 बजे पैसिफिक मानक समय तक पहुंचना ज़रूरी है।

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें:

California राज्य सचिव



(888) 345-2692



sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/

संघीय मतदान सहायता प्रोग्राम



(800) 438-VOTE (8683)



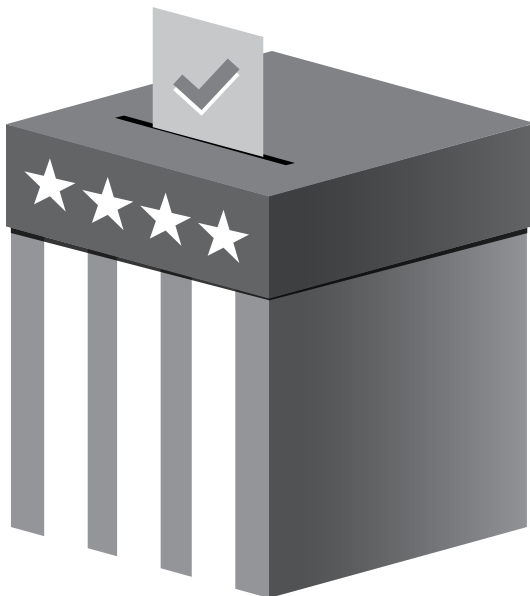
www.fvap.gov

चेतावनी: चुनाव प्रचार करना वर्जित है!

उल्लंघन करने पर जुर्माने लगाए जा सकते हैं और/या कारावास की सजा दी जा सकती है।

कहाँ:

- मतपत्र पर मतदान करने के लिए कतार में खड़े किसी व्यक्ति के आसपास या मतदान स्थल के प्रवेश द्वार, पटरी के किनारे मतदान करना या ड्रॉप बॉक्स के 100 फीट के भीतर निम्नलिखित गतिविधियाँ करना वर्जित हैं।



कौन सी गतिविधियाँ वर्जित हैं:

- किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार या मतपत्र विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने के लिए न कहें।
- किसी उम्मीदवार का नाम, तस्वीर या लोगो प्रदर्शित न करें।
- किसी मतपत्र ड्रॉप बॉक्स तक पहुंच को अवरुद्ध न करें या आसपास कूड़ा न फैलाएँ।
- किसी मतदान स्थल, मतदान केंद्र या मतपत्र ड्रॉप बॉक्स के पास किसी भी उम्मीदवार या मतपत्र विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी सामग्री या सुनने लायक जानकारी प्रदान न करें।
- किसी पहल, जनमत संग्रह, रीकॉल या उम्मीदवार के नामांकन सहित किसी भी याचिका को प्रसारित न करें।
- किसी भी उम्मीदवार का नाम, तस्वीर, लोगो, और/या किसी भी उम्मीदवार या मतपत्र विधेयक का समर्थन या विरोध करने वाले किसी भी कपड़े (टोपी, कमीज, संकेत, बटन, स्टिकर) को वितरित, प्रदर्शित न करें या पहनें नहीं।
- किसी भी मतदाता की मतदान करने की पात्रता के बारे में जानकारी प्रदर्शित न करें या उसके बारे में मतदाता से बात न करें।

ऊपर संक्षेप में दिए गये चुनाव प्रचार निषेध California चुनाव संहिता के प्रभाग 18 के अध्याय 4 की धारा 7 में दिए गये हैं।

चेतावनी: मतदान प्रक्रिया को किसी भी तरह से बिगाड़ना वर्जित है!

उल्लंघन करने पर जुर्माने लगाए जा सकते हैं और/या कारावास की सजा दी जा सकती है।

कौन सी गतिविधियाँ वर्जित हैं:

- चुनाव में धोखाधड़ी न करें या धोखाधड़ी करने का प्रयास न करें।
- किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को मतदान करने या मतदान न करने के लिए किसी भी तरह का मुआवजा या रिश्वत प्रदान न करें या प्रेरित न करें या प्रेरित करने का प्रयास न करें।
- गैरकानूनी तरीके से मतदान न करें।
- मतदान करने का अधिकार न होने पर मतदान करने का प्रयास न करें या किसी अन्य को मतदान करने में सहायता न करें।
- चुनाव अभियान में शामिल न हों; मतदान स्थल में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले मतदाता की तस्वीर न लें या रिकॉर्ड न करें; या प्रवेश, निकास, या पार्किंग में बाधा न डालें।
- किसी भी व्यक्ति के मतदान के अधिकार को चुनौती न दें या मतदाताओं को मतदान करने से न रोकें; मतदान की प्रक्रिया में देरी न करें; या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को यह सलाह न दें कि वह मतदान करने के योग्य नहीं है या मतदान के लिए पंजीकृत नहीं है।
- यह पता लगाने की कोशिश न करें कि किसी मतदाता ने अपने मतपत्र पर कैसे मतदान किया।
- कुछ अपवादों को छोड़कर, किसी मतदान स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में बन्दूक अपने पास न रखें या किसी के पास रखने की व्यवस्था न करें।
- कुछ अपवादों को छोड़कर, किसी मतदान स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में शांति अधिकारी, गार्ड या सुरक्षा कर्मियों की वर्दी में उपस्थित न हों या किसी के उपस्थित होने की व्यवस्था न करें।
- मतदान प्रणाली के किसी भी घटक के साथ छेड़छाड़ या हस्तक्षेप न करें।
- किसी चुनाव के परिणामों के जाली परिणाम न बनाएँ, जाली नकल न बनाएँ, या उनके साथ छेड़छाड़ न करें।
- किसी चुनाव के परिणामों में फेरबदल न करें।
- किसी भी मतदान सूची, आधिकारिक मतपत्र, या मतपत्र कंटेनर के साथ छेड़छाड़, उसे नष्ट या उसमें परिवर्तन न करें।
- किसी भी गैर-आधिकारिक मतपत्र इकट्ठा करने वाले कंटेनर को प्रदर्शित न करें जो किसी मतदाता को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दे सकता है कि यह एक आधिकारिक संग्रह बॉक्स है।
- किए गए मतदानों के परिणामों की प्रति के साथ छेड़छाड़ या हस्तक्षेप न करें।
- किसी ऐसे व्यक्ति, जो पढ़ नहीं सकता या किसी बुजुर्ग के साथ किसी उम्मीदवार या विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में मतदान करने के उनके इरादे के विपरीत जबरदस्ती न करें या धोखा न दें।
- किसी चुनाव अधिकारी के तौर पर कार्यवाही न करें जबकि आप वह नहीं हैं।

नियोक्ता अपने कर्मचारी को काम पर डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र लाने के लिए नहीं कह सकते या अपने कर्मचारी से काम पर अपने मतपत्र पर मतदान देने के लिए नहीं कह सकते। वेतन या मजदूरी का भुगतान करते समय, नियोक्ता ऐसी सामग्री को संलग्न नहीं कर सकते हैं जो उनके कर्मचारी की राजनीतिक राय या कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास करती है।

क्षेत्र के बोर्ड सदस्य यह निर्धारित करने की कोशिश नहीं कर सकते कि किसी मतदाता ने अपने मतपत्र पर कैसे मतदान दिया या, यदि वह जानकारी मिलती है, तो यह प्रकट नहीं कर सकते कि किसी मतदाता ने अपने मतपत्र पर कैसे मतदान दिया।

ऊपर संक्षेप में दी गई मतदान प्रक्रिया को बिगाड़ने से संबंधित गतिविधि पर प्रतिबंध California चुनाव संहिता के प्रभाग 18 के अध्याय 6 में दिए गए हैं।

चुनाव संबंधी जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करें

राज्य सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुरक्षित, संरक्षित, सटीक और सुलभ हों। जान-बूझकर या अन्यथा गलत जानकारी देना मतदाताओं को भ्रमित करता है और चुनावी प्रक्रिया में अविश्वास पैदा करता है। California में देश में सबसे व्यापक मतदान प्रणाली परीक्षण और प्रमाणन कार्यक्रमों में से एक मौजूद है।

अफ़वाहों और गलत जानकारी देने के विरुद्ध हमारा बेहतरीन बचाव आप ही हैं! झूठी चुनावी जानकारी आपके सोचने से भी कहीं ज्यादा आम है। अगर कोई दावा चौंका देने वाला लगता है या आपको परेशान करने के लिए बनाया गया है, तो हो सकता है कि यह सच न हो।

चुनाव संबंधी विश्वसनीय जानकारी के लिए बेहतरीन स्रोत आपके स्थानीय और राज्य के चुनाव अधिकारी हैं। चुनावी तथ्यों या फैलाई जा रही आम अफ़वाहों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, catrustedinformation.sos.ca.gov पर जाएँ।

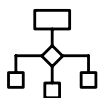
गलत जानकारी की रिपोर्ट votesure@sos.ca.gov पर करें।

California चुनाव सुरक्षा उपाय



सुरक्षित प्रौद्योगिकी

- काउंटी मतदान प्रणालियाँ इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं हैं
- मजबूत सुरक्षा तकनीकों को नियमित रूप से अपनाया जाता है
- हमारे राज्य और संघीय भागीदारों के सहयोग से खतरे की नियमित निगरानी और भेद्यता की जाँच की जाती है
- California के राज्य सचिव द्वारा गहन मतदान प्रणाली परीक्षण और प्रमाणन किया जाता है
- केवल अधिकृत चुनाव कर्मचारियों को ही उनकी भूमिका से संबंधित प्रणालियों तक पहुंच प्राप्त होती है



सुरक्षित प्रक्रियाएँ

- VoteCal एक केंद्रीकृत राज्यव्यापी मतदाता पंजीकरण डेटाबेस है। VoteCal आधिकारिक रिकॉर्डों के प्रति जाँच करता है और इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है
- मतपत्रों और चुनाव प्रौद्योगिकी को अभिरक्षा-की-श्रृंखला (चेन-ऑफ़-कस्टडी) की कड़ी कार्यविधियों का पालन करना आवश्यक है
- सभी पंजीकृत मतदाताओं के लिए कागज़ी मतपत्र उपलब्ध हैं
- चुनाव अधिकारियों द्वारा चुनाव के बाद लेखा-परीक्षण किया जाता है
- सभी डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र लिफाफों पर हस्ताक्षर सत्यापित किए जाते हैं
- आग, बाढ़, साइबर घटनाओं, और इस तरह की अन्य घटनाओं के लिए आपातकालीन योजना बनाना



सुरक्षित सुविधा-केंद्र और लोग



- स्थानों की भौतिक सुगमता पर नियंत्रण और सुरक्षा
- सभी स्थानों के लिए सुरक्षा और सुगमता का आकलन कार्य पूरा कर लिया गया है
- मतपत्र ड्रॉप बॉक्स सुरक्षित किए गए हैं और उनकी निगरानी की जाती है
- चुनाव प्रक्रियाएँ परिचालन के विशिष्ट घंटों के दौरान देखे जाने के लिए खुली रहती है
- सभी कर्मचारियों को फिशिंग और साइबर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है

California मतदाता पहचान-पत्र और पंजीकरण संबंधी आवश्यकताएँ

✓ कौन California में मतदान करने के लिए पंजीकृत हो सकता है?

पंजीकरण करने के लिए, आपका निम्न होना ज़रूरी है:

- संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक और California का निवासी होना
- चुनाव के दिन 18 साल का या उससे अधिक होना (पहले से पंजीकरण के लिए या 16 या 17 वर्ष के)
- किसी जघन्य अपराध की वजह से वर्तमान में राज्य या संघीय जेल में कारावास की सजा नहीं काट रहे हैं
- वर्तमान में किसी न्यायालय द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाए गए हैं

✓ क्या मुझे California में मतदान करने के लिए पहचान-पत्र दिखाने की ज़रूरत होती है?

ज़्यादातर मामलों में, नहीं। California में आम तौर पर मतदान स्थलों पर पहचान-पत्र दिखाने की ज़रूरत नहीं होती।

✓ आपसे कब पहचान-पत्र मांगा जा सकता है?

आपको पहचान-पत्र दिखाने की आवश्यकता केवल तभी हो सकती है जब निम्नलिखित सभी लागू हों:

- आप पहली बार संघीय चुनाव में मतदान कर रहे हैं
- आपने डाक से या ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, और
- पंजीकरण करते समय आपने अपना CA पहचान-पत्र या सामाजिक सुरक्षा नम्बर (SSN) प्रदान नहीं किया

अगर यह आप पर लागू होता है तो आपको पहले ही सूचित किया जाएगा।

मतदान कार्यकर्ता पहचान-पत्र का अनुरोध केवल तभी कर सकते हैं जब मतदाता सूची में स्पष्ट रूप से इसकी आवश्यकता बताई गई हो।

अधिक जानकारी के लिए

vote.ca.gov पर जाएँ या

हमारी मतदाता हॉटलाइन को

(888) 345-2692 पर कॉल करें।

✓ पहचान पत्र के कौन से प्रारूप स्वीकार्य हैं (अगर आवश्यक हो)?

आप फोटो या बिना फोटो वाला पहचान-पत्र दिखा सकते हैं, जिसमें शामिल हैं:

- California ड्राइवर लाइसेंस या राज्य पहचान-पत्र कार्ड
- संयुक्त राज्य अमेरिका का पासपोर्ट
- विद्यार्थी या सैन्य पहचान-पत्र
- सरकारी एजेंसी से आधिकारिक डाक
- वेतन का चेक या सरकारी चेक
- उपयोगिता बिल या बैंक स्टेटमेंट

पूरी सूची के लिए, यहाँ देखें: www.sos.ca.gov/elections/have-id-standards

फोटो पहचान पत्र दिखाना आवश्यक नहीं है, यह कई वैध विकल्पों में से एक है। पहचान-पत्र में आपका पता दर्शाया गया होना या इसका सरकार द्वारा जारी किया गया होना आवश्यक नहीं है।

✓ मतदान करते समय आपके पास पहचान-पत्र नहीं है?

आप अभी भी अनंतिम मतपत्र पर मतदान कर सकते हैं। आपका अनंतिम मतपत्र गिना जाएगा, जब चुनाव अधिकारी यह पुष्टि कर देंगे कि आप उस काउंटी में मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं और आपने पहले से ही उस चुनाव में मतदान नहीं किया है।

✓ ऑनलाइन जाकर अपनी मतदाता स्थिति की जांच करें

अपनी मतदाता स्थिति की जांच करने, अपने मतदान स्थल या मतदान केंद्र को खोजने और इस संबंध में अन्य जानकारियों के लिए voterstatus.sos.ca.gov पर राज्य सचिव के मेरी मतदाता स्थिति पृष्ठ पर जाएँ।

अपनी मतदाता स्थिति की जांच करने के लिए, आपको अपना नाम, उपनाम, जन्म तिथि, और अपने California ड्राइविंग लाइसेंस या California पहचान पत्र की संख्या, या अपने सामाजिक सुरक्षा नम्बर के अंतिम चार अंक दर्ज करने होंगे।

मतदाता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए voterstatus.sos.ca.gov पर जाएँ।

पूर्व में जघन्य अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए मतदान अधिकार बहाल किया जाना

आप पंजीकरण और मतदान कर सकते हैं अगर आप:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं और California के निवासी हैं
- चुनाव वाले दिन 18 साल या उससे अधिक आयु के हैं
- वर्तमान में किसी न्यायालय द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाए गए हैं
- कोई जघन्य अपराध साबित होने की वजह से वर्तमान में राज्य या संघीय जेल में कारावास की सजा नहीं काट रहे हैं

अगर आप इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आप मतदान कर सकते हैं, भले ही आप:

- किसी छोटे अपराध को करने के दोषी हैं (कोई छोटा अपराध आपको मतदान करने से कभी नहीं रोकेगा)
- पैरोल निरीक्षण या परीक्षा पर हैं
- जेल से रिहा होने के बाद सामुदायिक निरीक्षण (PRCS) पर हैं

अधिक जानकारी के लिए, कृपया votingrightsrestored.sos.ca.gov पर जाएं।

मतदान करने के लिए आज ही पंजीकरण या दोबारा पंजीकरण करें!

अगर आप मतदान करने के लिए पंजीकृत थे और किसी जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए गए थे, तो हो सकता है कि आपका पिछला पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो।

मतदान करने के लिए आज ही ऑनलाइन registertovote.ca.gov पर जाकर पंजीकरण या दोबारा पंजीकरण करें। आप राज्य सचिव की मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करके भी कागजी मतदाता पंजीकरण कार्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

लोकतंत्र को आपकी ज़रूरत है! एक मतदान कार्यकर्ता के रूप में काम करना

मतदान कार्यकर्ता बनने के लिए साइन अप करके अपने समुदाय के सदस्यों को मतदान करने के उनके अधिकार का इस्तेमाल करने में मदद करें। मतदान कार्यकर्ता के रूप में, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मतदाता आसानी से और सुरक्षित रूप से अपना मतदान कर सकें। व्यावहारिक अनुभव हासिल करें और हमारे लोकतंत्र के अकेले सबसे महत्वपूर्ण अधिकार—मतदान करने—में हिस्सा लें! आज ही अपना फॉर्म pollworker.sos.ca.gov पर पूरा करें।

मतदान कार्यकर्ता बनने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से संपर्क करें या California के राज्य सचिव को (888) 345-2692 पर कॉल करें, या vote.ca.gov पर जाएं।

पहली बार मतदान कर रहे हैं? 3 आसान चरणों से शुरुआत करें!

1. पंजीकरण करें!

- **20 अक्टूबर 2025** तक मतदान करने के लिए पंजीकरण करें। registertovote.ca.gov पर ऑनलाइन पंजीकरण करें या राज्य सचिव की टोल-फ्री मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करके मतदाता पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें। मतदाता पंजीकरण फॉर्म आपकी काउंटी के चुनाव कार्यालय, स्थानीय डाकघर या पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं।
- उसी दिन मतदाता पंजीकरण, जिसे राज्य कानून में सशर्त मतदाता पंजीकरण के नाम से जाना जाता है, उन California वासियों के लिए एक सुरक्षा जाल है, जो 20 अक्टूबर, 2025 की मतदाता पंजीकरण की अंतिम तारीख से चूक जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए vote.ca.gov पर जाएँ या इस गाइड का पृष्ठ 29 देखें।
- अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं और California के निवासी हैं, चुनाव के दिन आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, वर्तमान में किसी गंभीर अपराध के लिए राज्य या संघीय जेल में सजा नहीं काट रहे हैं, और वर्तमान में न्यायालय द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाए गए हैं, तो आप मतदान के लिए पंजीकरण कराने और मतदान करने योग्य हैं।

2. सूचित रहें!

- एक पंजीकृत मतदाता के रूप में आपको डाक में दो जानकारी संसाधन प्राप्त होंगे:
 - यह मतदाता सूचना गाइड, जिसमें राज्यव्यापी मतपत्र विधेयक, चुनाव प्रक्रिया और मतदान कैसे करें, के बारे में जानकारी शामिल होती है। अपनी गाइड किसी अन्य भाषा में प्राप्त करने के लिए, (888) 345-2692 पर कॉल करें या voterguide.sos.ca.gov पर जाएँ।
 - काउंटी मतदाता सूचना गाइड, जिसमें नमूना मतपत्र, आपके मतदान स्थल या मतदान केंद्र का स्थान और अन्य उपयोगी जानकारी शामिल होती है।
- उम्मीदवारों या मतपत्र विधेयक समितियों से संबंधित राज्य अभियान खर्च और योगदान की जानकारी sos.ca.gov/campaign-lobbying पर उपलब्ध है।

3. मतदान करें!

- आप अपना मतपत्र वापस लौटा सकते हैं:



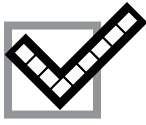
ड्रॉप बॉक्स द्वारा: California के प्रत्येक सक्रिय, पंजीकृत मतदाता को 4 नवम्बर, 2025 को होने वाले राज्यव्यापी विशेष चुनाव के लिए मतपत्र भेजा जाएगा। आप चुनाव के दिन रात 8:00 बजे तक California में बने किसी भी मतदान स्थल या मतपत्र ड्रॉप-ऑफ़ स्थान पर जाकर अपना मतपत्र व्यक्तिगत रूप से पहुंचा सकते हैं।



व्यक्तिगत रूप से: मतदान स्थल काउंटी चुनाव अधिकारियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और **चुनाव के दिन, मंगलवार 4 नवम्बर, 2025 को सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक** खुले रहते हैं। चुनाव दिवस से पहले मतदान करने के लिए स्थान खोजने के लिए caearlyvoting.sos.ca.gov पर जाएँ।

डाक द्वारा: जैसे ही आपको आपका मतपत्र प्राप्त हो, इसे डाक द्वारा लौटाएँ। डाक-द्वारा-मतदान मतपत्रों पर चुनाव दिवस तक की डाक मोहर लगे होना और उनका 12 नवम्बर 2025 से पहले प्राप्त होना ज़रूरी है।

विकलांग मतदाताओं के लिए विकल्प: काउंटियाँ एक सुलभ मतदान विकल्प प्रदान करती हैं जिसे दूरस्थ पहुंचनीय डाक-द्वारा-मतदान (RAVBM) कहा जाता है। RAVBM विकलांग मतदाताओं को घर पर ही अपने मतपत्र प्राप्त करने और उन्हें चुनाव अधिकारियों को वापस भेजने से पहले स्वतंत्र रूप से और निजी तौर पर उन पर निशान लगाने की सुविधा देता है।



California

मोटर विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाता

California मोटर विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाता प्रोग्राम California मोटर वाहन विभाग (DMV) में मतदान करने के लिए पंजीकरण करने को अधिक सुविधाजनक तथा सुरक्षित बना रहा है। ड्राइवर लाइसेंस, आईडी कार्ड, या पते में बदलाव जैसे कार्य सम्पादनों को ऑनलाइन, डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से DMV में पूरा करने वाले सभी योग्य व्यक्तियों को मतदान करने के लिए अपने आप ही पंजीकृत किया जाएगा, जब तक कि वे स्वचालित रूप से मतदाता पंजीकरण से "बाहर रहने" का विकल्प नहीं चुनते।

California मोटर वाहन विभाग द्वारा पंजीकृत मतदाता प्रोग्राम उन सभी California वासियों पर लागू होता है जो 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं और निम्नलिखित सभी मानदंड पूरे करते हैं:

- संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं।
- California के निवासी हैं।
- कोई जघन्य अपराध साबित होने की वजह से वर्तमान में राज्य या संघीय जेल में कारावास की सजा नहीं काट रहे हैं।
- वर्तमान में किसी न्यायालय द्वारा मतदान करने के लिए मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाए गए हैं।

मतदाता पूर्व पंजीकरण उनके लिए उपलब्ध है जो 16 और 17 साल की आयु के हैं। जब वे 18 साल के हो जाएंगे तो उनका मतदाता पंजीकरण अपने आप सक्रिय हो जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए, motorvoter.sos.ca.gov पर जाएँ।

मतदान करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए, registertovote.ca.gov पर जाएँ।

मतदाता पंजीकरण की गोपनीयता जानकारी

घर में सुरक्षित गोपनीय मतदाता पंजीकरण प्रोग्राम: जीवन को खतरे में डालने वाली परिस्थितियों का सामना कर रहे कुछ चुनिंदा मतदाता गोपनीय मतदाता दर्जे के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं अगर वे घर में सुरक्षित प्रोग्राम के सक्रिय सदस्य हैं। इसमें घरेलू हिंसा, पीछा किए जाने, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, बाल अपहरण, और बुजुर्ग/निर्भर बालियों के शोषण के शिकार और बचे हुए लोग शामिल हैं, साथ ही सार्वजनिक संस्था के कर्मचारी/ठेकेदार जो किसी सार्वजनिक संस्था के लिए अपने काम के कारण अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं, और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता, कर्मचारी, स्वयंसेवक और मरीज जो किसी प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सुविधा से जुड़े होने के कारण अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए, राज्य सचिव के घर में सुरक्षित प्रोग्राम के टोल-फ्री नंबर (877) 322-5227 पर संपर्क करें या sos.ca.gov/safeathome पर जाएँ।

मतदाता जानकारी गोपनीयता: आपके मतदाता पंजीकरण शपथपत्र की जानकारी का इस्तेमाल चुनाव अधिकारियों द्वारा आपको मतदान प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक जानकारी भेजने के लिए किया जाएगा, जैसे कि आपके मतदान स्थल का स्थान, और वे विधेयक और उम्मीदवार जो मतपत्र पर दिखाई देंगे। मतदाता पंजीकरण जानकारी का व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जाना कानून द्वारा वर्जित है और यह एक अपराध है। मतदाता की जानकारी किसी पद के लिए खड़े उम्मीदवार, मतपत्र विधेयक समिति, या चुनाव, अध्ययनशील, पत्रकारिता, राजनीतिक या सरकारी उद्देश्यों के लिए अन्य व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है, जैसा कि राज्य सचिव द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन उद्देश्यों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और सामाजिक सुरक्षा नंबर, या आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड पर दिखाए गए आपके हस्ताक्षर रिलीज़ नहीं किए जा सकते हैं। अगर मतदाता जानकारी के इस्तेमाल के बारे में आपके कोई प्रश्न है या ऐसी जानकारी के संदिग्ध दुरुपयोग की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया राज्य सचिव की टोल-फ्री मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करें।

विकलांग मतदाताओं के लिए सहायता

California यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक मतदाता अपने मतपत्र पर मतदान निजी और स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो।

आपकी काउंटी विकलांग मतदाताओं को क्या सहायता प्रदान करती है, इसके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया अपनी काउंटी मतदाता सूचना गाइड में देखें या अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारी से संपर्क करें। काउंटी की संपर्क जानकारी sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices पर उपलब्ध है।

किसी मतदान स्थल या मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करना

अगर आपको अपने मतपत्र पर निशान लगाने में सहायता चाहिए, तो आप अपनी मदद के लिए दो लोगों तक को चुन सकते हैं। यह व्यक्ति:

- आपका नियोक्ता या ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो आपके नियोक्ता के लिए काम करता है
- आपकी यूनियन का नेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो आपकी यूनियन के लिए काम करता है

कर्बसाइड मतदान आपको मतदान क्षेत्र के यथासंभव नजदीक अपनी गाड़ी पार्क करने की अनुमति देता है। चुनाव अधिकारी आपके लिए हस्ताक्षर करने के लिए एक रोस्टर, एक मतपत्र, और ऐसी कोई भी अन्य मतदान सामग्री लाएंगे जिसकी आपको ज़रूरत हो सकती है, चाहे आप वास्तव में फुटपाथ पर मौजूद हों या कार में बैठे हों।

सभी मतदान स्थलों और मतदान केंद्रों का विकलांग मतदाताओं के लिए पहुंचनीय होना आवश्यक है और उनमें पहुंचनीय मतदान मशीनें लगी होना आवश्यक हैं।

घर बैठे मतदान करना

दूरस्थ पहुंचनीय डाक-द्वारा-मतदान (RAVBM) प्रणालियाँ विकलांग मतदाताओं को घर बैठे ही अपने मतपत्र प्राप्त करने और उन्हें चुनाव अधिकारियों को वापस भेजने से पहले स्वतंत्र और निजी रूप से उस पर निशान लगाने का एक सुलभ विकल्प प्रदान करती हैं। अधिक जानकारी के लिए अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारी से संपर्क करें।

ऑडियो और बड़े प्रिंट वाली मतदाता जानकारी गाइडें

यह गाइड ऑडियो और बड़े प्रिंट वाले संस्करणों के साथ-साथ अंग्रेज़ी, चीनी, हिंदी, जापानी, खमेर, कोरियाई, स्पेनिश, टैगालॉग, थाई और वियतनामी भाषा में बिना किसी लागत के उपलब्ध है।

मंगवाने के लिए:



vote.ca.gov पर जाएँ



राज्य सचिव की टोल-फ्री मतदाता हॉटलाइन (888) 345-2692 पर कॉल करें



ऑडियो MP3 संस्करण voterguide.sos.ca.gov/hi/audio से डाउनलोड करें

काउंटी चुनाव कार्यालय

Alameda काउंटी
(800) 834-6454
www.acvote.org

Alpine काउंटी
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov/

Amador काउंटी
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections

Butte काउंटी
(530) 552-3400 या (800) 894-7761
(Butte काउंटी के अंदर)
www.buttevotes.net

Calaveras काउंटी
(209) 754-6376 या (833) 536-8683
www.calaverasgov.us/

Colusa काउंटी
(530) 458-0500 या (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

Contra Costa काउंटी
(925) 335-7800
www.contracostavote.gov/elections/

Del Norte काउंटी
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us/departments/Elections

El Dorado काउंटी
(530) 621-7480
www.edcgov.us/Government/Elections

Fresno काउंटी
(559) 600-8683
www.fresnovote.com

Glenn काउंटी
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections

Humboldt काउंटी
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/Elections

Imperial काउंटी
(442) 265-1060
www.elections.imperialcounty.org

Inyo काउंटी
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us/

Kern काउंटी
(661) 868-3590 या (800) 452-8683
www.kernvote.com

Kings काउंटी
(559) 852-4401 या
(800) 289-9981 एक्सटेंशन 4401
www.votekingscounty.com

Lake काउंटी
(707) 263-2372 या (888) 235-6730
www.lakecountyca.gov/818/Registrar-of-Voters

Lassen काउंटी
(530) 251-8217
www.lassencounty.org/dept/county-clerk-recorder/elections

Los Angeles काउंटी
(800) 815-2666
www.lavote.gov/home/voting-elections

Madera काउंटी
(559) 675-7720 या (800) 435-0509
www.votemadera.com

Marin काउंटी
(415) 473-6456
www.marinvotes.org

Mariposa काउंटी
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections

Mendocino काउंटी
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.gov/government/assessor-county-clerk-recorder-elections/elections

Merced काउंटी
(209) 385-7541 या (800) 561-0619
www.mercedelections.org

Modoc काउंटी
(530) 233-6200
www.co.modoc.ca.us/departments/elections/

Mono काउंटी
(760) 932-5537 या (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

Monterey काउंटी
(831) 796-1499 या (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

Napa काउंटी
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org/396/elections

Nevada काउंटी
(530) 265-1298 या (888) 395-1298
www.nevadacountyca.gov/1847/Elections-Voting

Orange काउंटी
(714) 567-7600 या (888)-628-6837
www.ocvote.com

Placer काउंटी
(530) 886-5650 या (800) 824-8683
www.placercountyelections.gov

Plumas काउंटी
(530) 283-6256 या (844) 676-VOTE
www.plumascounty.us/142/Elections-Division-Home

Riverside काउंटी
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

Sacramento काउंटी
(916) 875-6451 या (800) 762-8019
www.elections.saccounty.gov

San Benito काउंटी
(831) 636-4016
www.sanbenitocounty-ca-cre.gov/elections

San Bernardino काउंटी
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

San Diego काउंटी
(858) 565-5800 या (800) 696-0136
www.sdvote.com/

San Francisco काउंटी
(415) 554-4375
sfelections.sfgov.org

San Joaquin काउंटी
(209) 468-2890 या (209) 468-8683
www.sjcrov.org

San Luis Obispo काउंटी
(800) 834-4636
www.slovote.com

San Mateo काउंटी
(650) 312-5222
www.smcacre.org

Santa Barbara काउंटी
(805) 568-2200 या (800) 722-8683
www.sbcvvote.com

Santa Clara काउंटी
(408) 299-8683 या (866) 430-8683
www.sccvvote.org

Santa Cruz काउंटी
(831) 454-2060 या (866) 282-5900
www.votescount.com

Shasta काउंटी
(530) 225-5730
www.elections.shastacounty.gov

Sierra काउंटी
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov/214/Elections

Siskiyou काउंटी
(530) 842-8084
www.co.siskiyou.ca.us/elections

Solano काउंटी
(707) 784-6675 या (888) 933-8683
www.solanocounty.com/elections

Sonoma काउंटी
(707) 565-6800 या (800) 750-8683
vote.sonoma-county.org

Stanislaus काउंटी
(209) 525-5200 या (833) 772-2260
www.stanvote.com

Sutter काउंटी
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

Tehama काउंटी
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us/government/departments/elections/

Trinity काउंटी
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/214/Elections

Tulare काउंटी
(559) 839-2100
tularecoelections.org/elections/

Tuolumne काउंटी
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

Ventura काउंटी
(805) 654-2664
www.venturavote.org

Yolo काउंटी
(530) 666-8133
www.yoloelections.org

Yuba काउंटी
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

ऑनलाइन जाकर अपनी मतदाता स्थिति की जांच करें



अपनी मतदाता स्थिति की जांच करने, अपने मतदान स्थल या मतदान केंद्र को खोजने और इस संबंध में अन्य जानकारियों के लिए voterstatus.sos.ca.gov पर राज्य सचिव के मेरी मतदाता स्थिति पृष्ठ पर जाएँ।

अपनी मतदाता स्थिति की जांच करने के लिए, आपको अपना नाम, उपनाम, जन्म तिथि, और अपने California ड्राइविंग लाइसेंस या California पहचान पत्र की संख्या, या अपने सामाजिक सुरक्षा नम्बर के अंतिम चार अंक दर्ज करने होंगे।

मतदाता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए voterstatus.sos.ca.gov पर जाएँ।

अगर मैं मतदान करने के लिए पंजीकरण करना या अपना पंजीकरण अपडेट करना भूल गया तो क्या होगा?

कोई बात नहीं! अगर आप 20 अक्टूबर, 2025 की मतदाता पंजीकरण की अंतिम तिथि से चूक गए हैं, तो California कानून आपको अपनी काउंटी के चुनाव कार्यालय में या अपनी काउंटी के किसी भी मतदान स्थल पर चुनाव के दिन रात 8:00 बजे तक मतदान के लिए पंजीकरण करने की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया को सशर्त मतदाता पंजीकरण (CVR) कहा जाता है, और इसे सामान्यतः उसी दिन मतदाता पंजीकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है।

अनंतिम मतदान करना

क्या मतदान स्थल या मतदान केंद्र में मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है?

तब भी आपको अनंतिम मतपत्र के साथ मतदान करने का अधिकार है।

अनंतिम मतपत्र क्या होता है?

अनंतिम मतपत्र, मतपत्र पेटी में डाले जाने से पहले एक विशेष लिफाफे में रखा गया एक नियमित मतपत्र है। अनंतिम मतपत्र उन मतदाताओं द्वारा डाले जाने वाले मतपत्र हैं, जिनको लगता है कि वो मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं, चाहे उनके नाम मतदान स्थल या मतदान केंद्र में आधिकारिक मतदाता पंजीकरण सूची में न हों।

मतदाता को अनंतिम मतपत्र पर मतदान करने की ज़रूरत हो सकती है, अगर वे मतदान स्थल या मतदान केंद्र में व्यक्तिगत रूप से मतदान करना चाहते हों लेकिन उनको अपना डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र न मिला हो या अगर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने से पहले वापस सौंपने के लिए उनके पास अपना डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र न हो।

क्या मेरा अनंतिम मतपत्र गिना जाएगा?

हाँ, आपका अनंतिम मतपत्र गिना जाएगा, जब चुनाव अधिकारी यह पुष्टि कर देंगे कि आप उस काउंटी में मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं और आपने पहले से ही उस चुनाव में मतदान नहीं किया है।

अनंतिम मतपत्र का इस्तेमाल उस काउंटी में किसी भी मतदान स्थल या मतदान केंद्र में किया जा सकता है, जिसमें आप मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। केवल वही चुनाव प्रतियोगिताएँ, जिनके लिए आप मतदान करने के योग्य हैं, गिनी जाएंगी।

आप अपने अनंतिम मतपत्र की स्थिति कैसे देख सकते हैं?

कोई भी व्यक्ति, जो अनंतिम मतपत्र से मतदान करता है, उसे अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारी से यह जानने का अधिकार है कि क्या उसका मतपत्र गिना गया था और, अगर नहीं, तो किस कारण से उसे नहीं गिना गया था।



आप अपने अनंतिम मतपत्र की स्थिति की जांच voterstatus.sos.ca.gov पर कर सकते हैं।

डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र वापसी लिफाफे पर न किये गये हस्ताक्षर या मेल न खाते हुए हस्ताक्षर को कैसे ठीक करें

✓ डाक-द्वारा-मतदान या अनंतिम मतपत्र वापसी लिफाफे संबंधी संभावित मुद्दे

- हस्ताक्षर ना किये होना: आप अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र वापसी लिफाफे पर हस्ताक्षर करना भूल गये हैं।
- हस्ताक्षर मेल नहीं खाते: आपके हस्ताक्षर चुनाव अधिकारियों के पास मौजूद फ़ाइल में रखे गये हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं।

✓ अब क्या होगा?

- अधिसूचना: अगर आपके मतपत्र में कोई समस्या है, तो आपका काउंटी चुनाव कार्यालय आपको डाक, फोन, ईमेल या राज्य सचिव के **मेरा मतपत्र कहाँ है?** टूल के जरिए सूचित करेगा।
- इसमें सुधार कैसे करें: आप अपनी काउंटी के चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर एक फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं जिस पर आप अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं कि आपने अपने मतपत्र पर मतदान किया है।
 - अपने काउंटी चुनाव कार्यालय से निर्देशों के लिए अपनी डाक या ईमेल देखें
 - फॉर्म भरें और फॉर्म वापस करने के निर्देशों का पालन करें
 - फॉर्म वापस करने के आपके विकल्प काउंटी के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं
 - हो सकता है कि निर्देशों का पालन न करने पर आपके मतपत्र की गणना न की जाए

✓ मेरा मतपत्र कहाँ है? के साथ सूचित रहें।

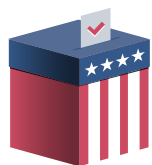
- अपने डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र को ट्रैक करें: **मेरा मतपत्र कहाँ है?** के लिए साइन अप करके अपने मतपत्र की स्थिति पर स्वचालित अपडेट प्राप्त करें
- टेक्स्ट, ईमेल या फ़ोन के जरिए अधिसूचनाएं प्राप्त करें:
 - जब आपका मतपत्र डाक द्वारा भेजा जाता है
 - जब यह प्राप्त हो जाता है
 - जब इसकी गिनती कर ली जाती है
 - अगर ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है
- आज ही साइन अप करें:
wheresmyballot.sos.ca.gov

✓ 4 नवम्बर, 2025, राज्यव्यापी विशेष चुनाव के लिए महत्वपूर्ण समय सीमाएँ:

- डाक से भेजे जाने वाले मतपत्र: जैसे ही आपको अपना मतपत्र प्राप्त हो उसे डाक द्वारा लौटाएँ। इस पर डाक-मोहर **4 नवम्बर 2025** तक की लगी होना ज़रूरी है और इसकी प्राप्ति **12 नवम्बर 2025** तक हो जानी ज़रूरी है।
- समय-सीमा: आपके हस्ताक्षर न किए गये मतपत्र या मेल न खाते हस्ताक्षर को ठीक करने की अंतिम तारीख 30 नवम्बर, 2025 को शाम 5:00 बजे तक है, जो आपके काउंटी द्वारा चुनाव प्रमाणित करने के दो दिन पहले है।

अधिक जानकारी के लिए **vote.ca.gov** पर जाएँ या हमारी मतदाता
हॉटलाइन को (888) 345-2692 पर कॉल करें।

याद रखने वाली तारीखें!



देरी न करें, आज ही मतदान करें!

डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र से जल्दी मतदान करने की अवधि 6 अक्टूबर से लेकर 4 नवम्बर, 2025 तक है।
मतदान स्थल चुनाव वाले दिन 4 नवम्बर, 2025 को सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुले रहते हैं।

अक्टूबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

6 अक्टूबर

काउंटी चुनाव अधिकारी इस तारीख को या इससे पहले डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र भेजना शुरू कर देंगे।

6 अक्टूबर-4 नवम्बर

डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र वापस करने के लिए मतदान की अवधि।

7 अक्टूबर

डाक-द्वारा-मतदान के लिए सुरक्षित ड्रॉप बॉक्स खुलते हैं।

20 अक्टूबर

मतदान करने के लिए पंजीकरण करने का अंतिम दिन। मतदाता पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद, चुनाव के दिन सहित, उसी दिन मतदाता पंजीकरण आपके काउंटी चुनाव कार्यालय या मतदान स्थान पर उपलब्ध होता है।

25 अक्टूबर

वह पहला दिन, जब जल्दी व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के लिए मतदाता विकल्प अधिनियम वाली काउंटियों में मतदान केंद्र खुलते हैं।

नवम्बर

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

मंगलवार, 4 नवम्बर, 2025

व्यक्तिगत रूप से मतदान करने या डाक-द्वारा-मतदान मतपत्र को रात 8:00 बजे तक वापस लौटाने का अंतिम दिन।

मतदान स्थल सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुले रहते हैं।

जैसे ही आपको आपका मतपत्र प्राप्त हो, इसे डाक द्वारा लौटाएँ। डाक-द्वारा-मतदान मतपत्रों पर 4 नवम्बर तक की डाक-मोहर का लगा होना ज़रूरी है।